

नारा सबको शिक्षा देने का, पर लगातार बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल

पिछले दिनों ओडिशा में 828 स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं महाराष्ट्र में 17,00 सरकारी स्कूलों में ताला लगाने की सूचना आ चुकी है। महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग ने राज्य में स्थानीय अखबारों में खबर जारी की है कि राज्य के खासकर पुणे, अहमदनगर में 13,00 सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। उनमें पढ़ने वाले बच्चों को अन्य

स्कूलों में दाखिला दे दिया जाएगा। इन स्कूलों को बंद करने के पीछे शिक्षामंत्री का तर्क बेहद मौजू और दरपेश है कि इनमें शिक्षा की गुणवत्ता और कम होते बच्चों की वजह से निर्णय लिया गया है कि 13,00 स्कूलों को क्यों न बंद कर दिया जाए। ऐसे सरकारी तर्क पर हंसी ही आ सकती है या अफसोस दर्ज किया जा सकता है।



बादरायण रचित ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है- 'अथातो... जिज्ञासा' इस सूत्र को आज के संदर्भ में तब्दील कर के लिखने की इजाजत चाहता हूँ। अथातो स्कूल बंदी आरम्भ्यते। सरकारी स्कूल बंदी की कहानी रूक नहीं रही है। तकारीबन कई राज्यों में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पिछले दिनों ओडिशा में 828 स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं महाराष्ट्र में 17,00 सरकारी स्कूलों में ताला लगाने की सूचना आ चुकी है। महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग ने राज्य में स्थानीय अखबारों में खबर जारी की है कि राज्य के खासकर पुणे, अहमदनगर में 13,00 सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। उनमें पढ़ने वाले बच्चों को अन्य स्कूलों में दाखिला दे दिया जाएगा। इन स्कूलों को बंद करने के पीछे शिक्षामंत्री का तर्क बेहद मौजू और दरपेश है कि इनमें शिक्षा की गुणवत्ता और कम होते बच्चों की वजह से निर्णय लिया गया है कि 13,00 स्कूलों को क्यों न बंद कर दिया जाए। ऐसे सरकारी तर्क पर हंसी ही आ सकती है या अफसोस दर्ज किया जा सकता है।

गौरतलब है कि जिन स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है कि वे नंबर वन ग्रेड के स्कूल हैं। यानी कभी वे स्कूल अपनी शिक्षण गुणवत्ता की वजह से प्रसिद्ध रहे होंगे। किन्तु किन्हीं वजहों से अब उन स्कूलों में बच्चे कम होते चले गए। या यूँ कहें कि बच्चे ड्राप आउट होते गए या फिर दूसरे स्कूलों में पलायन करने लगे। क्या सरकार की नजर में या स्कूल प्रशासन की नजर में वह पलायन दिखाई नहीं दिया। समय रहते उन कारणों को दूर करने की कोशिश की गई होती तो संभव है आज उन्हें बंद न करना पड़ता।

सरकारी तर्कों की रोशनी में देखें तो अमूमन हर राज्य जहाँ स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया वहाँ इन्हीं तर्कों के कंधों पर सवार

हो कर राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। इन तर्कों को देखें तो सरकारी प्रयासों में इन स्कूलों को बचाने की कोशिश की कमी नजर आती है। वहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम को धत्ता बताते हुए निजी संस्थानों को सौंपने की बेवैनी नजर आती है। महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर में जिन स्कूलों को बंद करने का फैसला और घोषणा स्थानीय अखबारों में की गई है वे इलाके आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ अब स्थानीय स्कूलों में जाते हैं तो हिन्दू में छपी खबर के अनुसार वहाँ के बच्चे बताते हैं कि कम से कम 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा भी कठिन नहीं है कि लड़के फिर भी स्कूल चले जाएँ लेकिन लड़कियाँ स्कूली शिक्षा से वंचित ही होने वाली हैं। द हिन्दू अखबार ने प्रकाशित विज्ञापनों के विश्लेषण के बाद पाया कि पुणे में 76 और अहमदनगर जिले में 49 स्कूल बंद होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री विनोद तावडे मानते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी की वजह से इन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई है। जहाँ दस से कम बच्चे रह गए हैं उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। इन तर्कों को आधार बना कर दूसरे राज्य भी इन्हीं रास्तों पर चलने में हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। जबकि हमें स्कूलों में कम होते बच्चों के कारणों को दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। हमें उन वजहों को ठीक करना था जिनकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ जा रहे हैं।

हमने 2000 में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य तय किया था। उसमें 2010 तक हमने सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा दिलाने की घोषणा की थी। यूँ तो हम घोषणा 1990 में भी एजुकेशन फार ऑल की कर चुके हैं। उसमें हमने तय किया था कि 2000 तक सभी बच्चों को तालीम मुहैया करा देंगे। लेकिन ग्लोबल

एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017-18 की मानें तो अभी भी भारत में 8 करोड़ अस्सी लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से बेदखल हैं। इस तरह के आंकड़े महज संख्या नहीं हैं बल्कि सतत विकास लक्ष्य के चेहरे पर झगाटेदार तमाचा है। लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि हमें वह दर्द महसूस नहीं होता। बल्कि हम दूसरे तमाशों में दर्द को भूल बैठे हैं। क्या हम इस सच्चाई से मुंह फेर सकते हैं कि आज स्कूल से बाहर रह गए बच्चे कल हमारे ही समाज के अनपहचाने चेहरे में तब्दील हो जाएंगे। नागर समाज इन्हें अनपढ़ और गंवार के तमगे बाँटा करेगा। हम इन्हें किसी बेहतर नौकरी के लिए असफल ठहरा कर इन्हें इनकी योग्यता को दर्दनाक करते हुए कमतर काम में झोंक देंगे। शिक्षा दरअसल हमारी चिंता के केंद्र में नहीं आ पाती। बस शिक्षा तब मीडिया और नागर समाज में ध्यान खींचती है जब कोई अग्रिय घटना, शिक्षक का गुस्ता, बच्चे ज्यादा फेल हो जाते हैं। बाकी शिक्षा में बेहतर कैसे किया जाए और बच्चों को लिखना पढ़ना कैसे सिखाएँ आदि मुद्दों पर महज विचार विमर्श तक पूरी चर्चा महदूद रह जाती है। जब हकीकतन स्कूलों में खास कर सरकारी स्कूलों में शिक्षक/ शिक्षण का मुद्दा उठता है तब बजट कम होने के नाम पर सारा ठीकर शिक्षक के सिर फोड़ दिया जाता है। जबकि स्कूलों में बच्चों के न आने, कम होने आदि की शिकायत अमूमन सभी राज्यों से आती रही है। किन्तु उन्हें कैसे सुधारा जाए इस पर उठर कर समाधान निकालने में हमारी दिलचस्पी नहीं होती।

हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री के गृह जिले में सतर सरकारी स्कूलों को ताला लगा दिया गया। कुल बंद हुए स्कूलों की संख्या 828 है। ये वे स्कूल हैं जिसके बारे में बताया गया है कि इनमें दस से भी कम बच्चे रह गए थे। इसलिए इन्हें बंद करने का

फैसला लिया गया। जबकि कायदे से इन स्कूलों में कम होते बच्चों की वजहों की पड़ताल की जाती, उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाते। लेकिन वे कदम उठाने जरा कठिन थे सो आसान रास्ता चुन लिया और स्कूलों को बंद कर दिया गया। गौरतलब है कि हम आदिवासी समाज से उनकी जंगल, जमीन और जीवन तो पहले भी छीन चुके हैं। बची थी शिक्षा तो उसे भी हमने उनसे छीन लिया। माना जा रहा है कि आदिवासी बहुल इलाका रायागाड़ा और कंधमाल जिले में इन स्कूलों में लगातार बच्चे कम हो रहे थे। लेकिन यह जानने की कोशिश हमने नहीं की कि क्यों यह प्रवृत्ति विकसित हो रही है। क्या हम कम होते बच्चों यानी स्कूल छोड़ने वालों बच्चों को ट्रेक नहीं कर सकते थे। क्या हमें यह नहीं पता करना चाहिए था कि इन स्कूलों से बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्या वे पास के निजी स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं या कौशल विकास योजना के तहत हथकामा का काम सीखने कौशल विकास केंद्रों पर जा रहे हैं।

आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसे 8,547 स्कूलों की पहचान की गई है जहाँ 25 से भी कम बच्चे रह गए हैं। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इतने कम बच्चों पर मानव और अर्थ खर्च करना किस हद तक उचित है। गौरतलब है कि इस इलाके में चल रहे सरकारी स्कूलों में 1,58,213 लाख बच्चे पढ़ते हैं। यदि इन स्कूलों को बंद किया गया तो इन बच्चों की कहाँ और किस प्रकार स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ओडिशा सरकार ने बताया है कि इन बच्चों को पास के स्कूलों में दाखिला दे दिया जाएगा। ऐसे में पहले से मौजूद बच्चों को नए बच्चों के परिवेशीय और स्तर के अनुसार आने वाली खाई को पाटने की कार्य योजना तैयार है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना होगा। ध्यान रखने की बात यह भी है कि इन स्कूलों में 17,422 शिक्षक